आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
11.12.14	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **विविध वाद (भू–बंदोबस्ती) सं0 06/2010** **सुपन महतो एवं सरस्वती देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** यह वाद सुपन महतो पिता–स्व0 बद्री महतो एवं अन्य के द्वारा राज्य सरकार एवं अन्य के विरूद्व दाखिल किया गया है। यह माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल वाद संख्या 2472/10 में दिनांक 11.2.10 को पारित आदेश एवं एम.जे.सी. नं0 ...../14 से संबंधित है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि सुपन महतो, पिता–स्व0 बद्री महतो एवं सरस्वती देवी, पिता–रामचन्द्र महतो, सा0–मीरपुर भुआल, थाना–दिघवारा, जिला–सारण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल वाद सं0 2472/10 में पारित आदेश दिनांक 11.2.10 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिनांक 30.3.10 को आवेदन दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपने उक्त आदेश में समाहर्त्ता, सारण को The Bengal Alluvion and Diluvion Act, 1847 की धारा– 5ए के अंतर्गत आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में क्षेत्रीय पदाधिकारियों से आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त कर आवेदक के दावा की सुनवाई करने तथा तत्पश्चात विधि–सम्मत् आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.5.10 को अंचलाधिकारी, दिघवारा से विस्तृत प्रतिवेदन की मॉग की गयी। अंचलाधिकारी, दिघवारा के पत्रांक 550 दिनांक 25.6.10 के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। उक्त मामले की सुनवाई पुनः दिनांक 25.11.14 एवं 11.12.14 को की गयी। दिनांक 25.11.14 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सरकारी अधिवक्ता को अंचलाधिकारी, दिघवारा से विन्दुवार स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में सरकारी अधिवक्ता	

के द्वारा वांछित विन्दुवार प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।

आवेदकों के द्वारा अपने आवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम मीरपुर भुआल, थाना–दिघवारा का खाता सं0 150, खेसरा सं0 733, रकवा एक वीघा एक कट्ठा तीन धुर रामचन्द्र महतो के नाम से सी0एस0 खतियान में दर्ज है। आवेदकों के द्वारा आगे उल्लेख किया गया है कि आर0एस0 अभियान 1917 में प्रारंभ हुआ एवं 1920 में संपन्न हुआ। पुराने सी0एस0 नं0 733 से संवंधित आर0एस0 खतियान संख्या 769 का एक नया खेसरा संवंधित है। आर0एस0 खतियान की प्रविष्टि प्रदर्शित करता है कि इस जमीन का अधिकांश भाग 1898 में सी0एस0 खतियान के प्रकाशन के पश्चात् गंगा नदी में चला गया और केवल चार कट्ठा छः धुर आर0एस0 अभियान के समय नदी के बाहर बचा रहा और उसी रकवा की प्रविष्टि रामचन्द्र महतो के नाम से आर0एस0 खतियान में किया गया।

रामचन्द्र महतो की मृत्यु के पश्चात् उनकी एकमात्र पुत्री सरस्वती देवी का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार हुआ। सरस्वती देवी वादी संख्या 2 हैं। वादी सं0 01 वादी सं0 02 के पुत्र है, इसलिए वे अपनी माँ के साथ शामिल होकर यह वाद दाखिल किए।

आवेदक के द्वारा यह भी बताया गया कि उनके पूर्वजों का खेसरा स0 733 पर अधिकार था, जो वर्त्तमान में खेसरा सं0 769 है, जो कि नदी के वाहर आ गया है और आवेदकों ने उस पर अधिकार कर लिया है और उसका उपयोग उस पर खेती करके करते हैं।

आवेदकों ने अतिरिक्त क्षेत्र के लगान निर्धारण के लिए अंचलाधिकारी, दिघवारा के समक्ष दिनांक 1.11.2002 को आवेदन दिया था, लेकिन अंचलाधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी, इसलिए इस न्यायालय में इस वाद को दाखिल किया जा रहा है। आवेदकों के द्वारा आगे वताया गया कि अपर समाहर्त्ता, सारण के द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 19.3.08 के द्वारा उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि वह भूमि जो नदी के वाहर आ गया है, वह सरकार की सम्पत्ति है तथा उसे उपेन्द्र राय के नाम से वंदोवस्त कर दिया गया है।

अंचलाधिकारी, दिघवारा के द्वारा भी Rejoinder दाखिल किया गया है। अंचलाधिकारी, दिघवारा के द्वारा पूरी भूमि पर आवेदकों के पूर्वजों के द्वारा अधिकार से इनकार किया गया है। वे स्वीकार करते हैं कि वादी सं0 02 रामचन्द्र महतो की पुत्री हैं। अचलाधिकारी का कहना है कि रामचन्द्र

महतो का आर0एस0 अभियान के समय खेसरा सं0 769 के केवल चार कट्ठा छः धुर पर ही अधिकार था।

अचलाधिकारी के द्वारा अपने Rejoinder में उल्लेख किया गया है कि खेसरा नं0 769 की वर्त्तमान स्थिति एवं उसके हद का उल्लेख बंगाल सर्वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप रिकॉर्ड में नहीं किया गया है। अंचलाधिकारी, दिघवारा के द्वारा आगे यह भी बताया गया कि दिनांक 19.5.08 को हल्का कर्मचारी के द्वारा भूमि की मापी की अनुशंसा भी की गयी। इस संबंध में कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्व हो सके कि नदी से बाहर आयी भूमि का हद खेसरा सं0 769 के अतिरिक्त भूमि से संबंधित है।

अंचलाधिकारी, दिघवारा के द्वारा अपने Rejoinder में उल्लेख किया गया है कि नदी से बाहर आने के पश्चात् आवेदकों के द्वारा या उनके पूर्वजों के द्वारा The Bengal Alluvion and Diluvion Act, 1847 की धारा– 5ए के अनुसार नदी से निकले अपने जमीन पर Claim नहीं किया गया। उनके द्वारा 11 वर्षों के बाद Claim किया गया, जो उक्त अधिनियम के विरूद्व है।

अंचलाधिकारी, दिघवारा के द्वारा अपने Rejoinder में उल्लेख किया गया है कि खेसरा सं0 792 की बंदोबस्ती प्रतिवादी सं0 03 उपेन्द्र राय के नाम से की गयी थी। उनकी बंदोबस्ती को रद्द करने का आदेश अपर समाहर्त्ता, सारण के द्वारा अंचलाधिकारी, दिघवारा को दिया गया है। प्रतिवादी सं0 03 को खेसरा सं0 769 से कोई मतलब नहीं है।

अंचलाधिकारी के द्वारा यह बतलाया गया कि बिहार सरकार के द्वारा खाता नं0 201 प्लॉट नं0 792, जिसका कुल रकवा 15 बीघा 19 कट्ठा 03 धुर है, में से 13 बीघा प्रतिवादी सं0 2 के नाम से बंदोबस्त किया गया और शेष रकवा अन्य रैयतों के नाम से बंदोबस्त किया गया है।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं विज्ञ सरकारी अधिवक्ता तथा अंचलाधिकारी, दिघवारा के द्वारा प्रस्तुत Rejoinder का परिसीलन किया। परिसीलन के उपरान्त निम्नलिखित बातें सामने आयी–

1. खेसरा सं0 769 की बंदोबस्ती किसी भी व्यक्ति को नहीं की गयी है, जैसा कि आवेदकों के द्वारा आरोप लगाया गया है।
2. आवेदकों का खेसरा सं0 769 के पूरे रकवा पर कब्जा नहीं है।

उनका केवल चार कट्ठा छः धुर पर ही कब्जा है। जैसा अंचलाधिकारी, दिघवारा के द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है।

3. आवेदकों या उनके पूर्वजों के द्वारा नदी से जमीन के बाहर निकलने के पश्चात् उस पर शीघ्र Claim नहीं किया गया। The Bengal Alluvion and Diluvion Act, 1847 की धारा– 5ए के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नदी से निकली जमीन पर शीघ्र Claim करना एक आवश्यक शर्त्त है, जिसमें आवेदक असफल रहे, इसलिए आवेदक अपने नाम से अतिरिक्त भूमि के लगान के निर्धारण का दावा नहीं कर सकते हैं। उनके द्वारा यह दावा 11 वर्षों के बाद किया गया है। आवेदक अपना दावा सिद्व करने में भी असफल रहे। सर्वप्रथम आवेदकों के द्वारा दिनांक 1.11.2002 को अंचलाधिकारी, दिघवारा के समक्ष उक्त बिन्दु पर अपना आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया।

4. आवेदकों के द्वारा खेसरा सं0 769 की अंचल अमीन से या कमीश्नर से मापी करवाने के बिन्दु पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। अंचल अमीन या सर्वे जानने वाले अधिवक्ता कमीश्नर के प्रतिवेदन से नदी से निकली जमीन का हद सिद्व हो सकता था।

उक्त बिन्दुओं के आलोक में मैं पाता हूँ कि आवेदकों के द्वारा अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत कागजातों के परिसीलन से यह सिद्व नहीं होता है कि नदी से निकली जमीन खेसरा सं0 769 का ही हिस्सा है। इस तरह आवेदकों के द्वारा किया गया दावा न तो तथ्य के आधार पर और न ही विधि के आधार पर स्वीकार करने योग्य है। अतः आवेदकों के द्वारा दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

[illegible]

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

[illegible]

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1052 दिनांक 15/12/14

प्रतिलिपि – CO दीघवारा को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ उचित निर्देशानुसार अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में जवाब अविलंब दायर करने हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। [illegible] अपर समाहर्ता [illegible] विधि शाखा